सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 08/2017

आशा जैन पत्नि स्व0 श्री जवाहर लाल जैन जाति महाजन निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल

.....प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थीया : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 14.12.2017 निर्णय दिनांक : 05.10.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम मांगरोल की जमाबंदी सम्वत 2069–72 में खसरा नं0 550 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 106 रकबा 0.061 है0, खसरा नं0 1007/4986 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 1009 रकबा 1.46 है0, खसरा नं0 2732 रकबा 0.13 है0 कुंल रकबा 3.19 है0 भूमि स्थित है जिसमें से खसरा नं0 550 रकबा 0.74 है0 को शिवनारायण, हरिओम पुत्रान माधोलाल जाति माली निवासी मांगरोल को बैचान कर चुकी है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीया के पति के नाम थी जो साबिक जमाबंदी सम्वत 2034–2037 में खसरा नं0 1900 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 1202 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 358 रकबा 12 बीघा कुल किता 3 रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा दर्ज थी। जो वर्तमान में प्रार्थीया के पति की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीया के नाम दर्ज हुयी है। उक्त आराजी में विवादिग्रस्त आराजी केवल खसरा नं0 1900 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा ही है वर्तमान जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल मुताबिक उक्त साबिक खसरा नं0 के वर्तमान खसरा नं0 2732 रकबा 0.13 है0 कायम किये है जो पुराने रके के मुकाबले 0.17 है0 दर्ज होने चाहिए थें इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा वर्तमान रकबे में 0.04 है0 कम रकबा दर्ज किया है। जिसको दुरूस्त करवाने की प्रार्थीया कानूनन अधिकारणी व नालिसी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का रकबा साबिक खसरा नं0 1900 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के मुताबिक वर्तमान खसरा नं0 2732 रकबा 0.13 है0 के स्थान पर खसरा नं0 2732 रकबा 0.17 है0 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 14.12.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र

मू0अ0/2018/4678 दिनांक 24.09.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मांगरोल की आराजीखसरा नं0 2732 रकबा 0.13 है0 है जिसके साबिक खसरा नं0 1900 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा थें। खसरा नं0 2732 के आस पास के खसरा नंम्बर, वर्तमान रकबा, साबिक खसरा नं0 रकबा निम्न प्रकार हैः—

वर्तमान खसरा नं0	रकबा है0 में	साबिक खसरा नं0	रकबा
2730	0.13	1896	18 बिस्वा
2731	0.15	1897	19 बिस्वा
2829	0.03	1898	1 बिस्वा
2828	0.03	1899 मि0	
2827	0.03	1899 मि0	
2733	0.22	1901	1 बीघा 15 बिस्वा

विवादित खसरा नं0 2732 के आस पास के सभी खसरा नम्बरान का अध्ययन करने पर पाया गया कि आस पास के किसी भी खसरा नं0 में बाद सेटलमेंट रकबे में बढोत्तरी नही हुयी है। अतः खसरा नं0 2732 में रकबे की बढोत्तरी किया जाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने ग्राम मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नं0 1900 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबे की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थीया के उक्त आराजी के समीपस्थ स्थित किसी भी खसरा नम्बरान में दौराने सेटलमेंट रकबा बढा हुआ नही पाया गया है और ना ही प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नंम्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन